न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/134/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/340

प्रवेश तिथि :: 16.09.2025

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री धीरेन्द्रसिंह,
निवासी–23–B, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी,
जयपुर रोड़, अलवर (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 29.09.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना आवेदन दिनांकः 28.07.2025 प्रस्तुत कर "अपीलार्थी स्वयं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांकः 02.06.2025" के संबंध में 03 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेखीय प्रति चाही गई थी।
4. सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय, RTI Online Portal पत्र सं. 8760328167 दिनांकः 07.08.2025 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील, इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/2008–09 दिनांकः 26.09.2025 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रस्तुत अपील अन्तर्गत उठाये गये तथ्य एवं प्रत्यर्थी के जवाब पर मनन किया गया।
8. अपीलार्थी के अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण में प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पत्र दिनांकः 07.08.2025 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है, साथ ही प्रश्नगत अपील के अनुसरण में पुनः अद्यतन कार्यवाही संबंधी जानकारी प्राप्त कर 10 पृष्ठीय अभिलेख पर संधारित सूचना प्रति पत्र दिनांकः 26.09.2025 के माध्यम से अग्रेषित की जा चुकी है, अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अतः उक्त आलोक में **अपील अस्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 29.09.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)